रजि० नं० एल. डब्लू./एन. पी. 501
लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०—41
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–2, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, सोमवार, 13 मार्च, 1995

फाल्गुन 22, 1916 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 563/सत्रह–वि–1–2(क)-10-1995

लखनऊ, 13 मार्च, 1995

अधिसूचना

विविध

संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल महोदय ने निम्नलिखित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1995 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 13 सन् 1995) प्रख्यापित किया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1995

[उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 13, सन् 1995]

(भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित)

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अध्यादेश

चूंकि उपर्युक्त विषय की व्यवस्था करने के लिए राज्यपाल द्वारा दिनांक 28 दिसम्बर, 1994 को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1994 प्रख्यापित किया गया था;

और चूंकि, राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है ;

अतएव, अब, संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1.—(1) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1995 कहा जायेगा ।

(2) यह 28 दिसम्बर, 1994 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1982 के दीर्घ शीर्षक का संशोधन

2.—उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 के जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, दीर्घ शीर्षक में, शब्द "सेवा चयन बोर्ड" के स्थान पर शब्द "सेवा आयोग" रख दिए जायेंगे ।

धारा 1 का संशोधन

3.—मूल अधिनियम की धारा 1 में, उपधारा (1) में शब्द "सेवा चयन बोर्ड" के स्थान पर शब्द "सेवा आयोग" रख दिए जायेंगे ।

धारा 2 का संशोधन

4.—मूल अधिनियम की धारा 2 में :—

(क) खण्ड (क) निकाल दिया जायेगा;

(ख) इस प्रकार निकाले गए खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :—

"(ख) 'अध्यक्ष' का तात्पर्य आयोग के अध्यक्ष से है और इसके अन्तर्गत अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, तत्समय अध्यक्ष के कृत्यों का सम्पादन करने वाला कोई अन्य व्यक्ति भी है ;

(ग) आयोग का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग से है;";

(ग) खण्ड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात् :—

"(छ) 'सदस्य' का तात्पर्य आयोग के सदस्य से है और इसके अन्तर्गत आयोग का अध्यक्ष भी है;" ;

(घ) खण्ड (ज) निकाल दिया जायेगा ;

(ङ) इस प्रकार निकाले गए खण्ड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिए जायेंगे, अर्थात् :—

"(ज ज) नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है ;

(झ) 'विनियम' का तात्पर्य धारा 34 के अधीन बनाए गये किसी विनियम से है;" ।

अध्याय दो और धारा 3 से 11 का बढ़ाया जाना

5.—मूल अधिनियम की धारा 2 के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय, जिसमें धारा 3 से 11 दी गई है, बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

"अध्याय—दो

आयोग की स्थापना और कृत्य

स्थापना

3.—(1) ऐसे दिनांक से जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त आयोग की नियत करे, एक आयोग स्थापित किया जायगा जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग कहलाएगा ।

(2) आयोग एक निगमित निकाय होगा । यह सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में शक्ति का प्रयोग करेगा और इसका मुख्यालय इलाहाबाद में होगा ।

4--(1) आयोग में एक अध्यक्ष और छः से अनधिक अन्य सदस्य होंगे जो उपधारा (2) के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जायेंगे ।

आयोग की संरचना

(2) अध्यक्ष और सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किए जायेंगे, जो--

(क) राज्य सरकार की राय में, विख्यात शिक्षाविद् रहे हों, या जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यवान योगदान दिया हो; या

(ख) उत्तर प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में आचार्य के रूप में या ऐसे किसी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त या उससे संबद्ध किसी महाविद्यालय में, दस वर्ष से अनिम्न अवधि के लिए, प्राचार्य के रूप में कार्य किया हो; या

(ग) प्रदेश की न्यायिक, प्रशासनिक या शिक्षा सेवा में, दस वर्ष से अनिम्न अवधि के लिए, ज्येष्ठ अधिकारी के रूप में कार्य किया हो; या

(घ) किसी संस्था के पन्द्रह वर्ष से अनिम्न अवधि के लिए, प्राचार्य के रूप में कार्य किया हो ।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक नियुक्ति उस दिनांक से प्रभावी होगी जिस दिनांक को उसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय ।

5--(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक सदस्य चार वर्ष की अवधि के लिए पदधारण करेगा ।

सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें

(2) कोई व्यक्ति निरन्तर दो पदावधि से अधिक के लिए सदस्य नहीं होगा ।

(3) कोई सदस्य राज्य सरकार को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है, किन्तु वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका त्याग-पत्र राज्य सरकार द्वारा स्वीकार न कर लिया जाय ।

(4) सदस्यों का पद पूर्णकालिक होगा और उनकी सेवा के निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी राज्य सरकार, आदेश द्वारा, निदेशित करे ।

(5) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, यदि उसने बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, न तो सदस्य नियुक्त किया जाएगा और न इस रूप में बना रहेगा ।

6--(1) राज्य सरकार, आदेश द्वारा, किसी सदस्य को पद से हटा सकती है, यदि वह--

सदस्यों को हटाने की राज्य सरकार की शक्ति

(क) दिवालिया न्याय-निर्णीत किया जाय; या

(ख) अपनी पदावधि के दौरान, अपने पद के कर्तव्यों से परे किसी वैतनिक सेवायोजन में कार्य करें; या

(ग) राज्य सरकार की राय में, मानसिक या शारीरिक दुर्बलता या सिद्ध कदाचार के कारण पद पर बने रहने के लिए अनुपयुक्त हो; या

(घ) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी अनर्हता का भागी हो जाय ।

स्पष्टीकरण--जहां कोई सदस्य किसी संस्था द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा या करार से, किसी प्रकार से संबद्ध हो या उसमें हितबद्ध हो या उसके लाभ में या उससे प्राप्त होने वाले किसी फायदे या उपलब्धि में किसी प्रकार से सदस्य से भिन्न रूप में सम्मिलित हो, वहां उसे खण्ड (ग) के प्रयोजनार्थ कदाचार का दोषी समझा जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन कदाचार के अन्वेषण और उसे सिद्ध करने की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी विहित की जाय ।

सहयुक्त करने की शक्ति

7--आयोग अपने साथ ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए जो धारा [illegible] के अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा अवधारित किए जायें, किसी ऐसे व्यक्ति को सहयुक्त कर सकता है जिसकी सहायता या सलाह वह इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए लेना चाहें।

आयोग का कर्मचारीवर्ग

8--(1) आयोग का सचिव राज्य सरकार द्वारा पांच वर्ष से अनधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जायगा, और उसकी सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी राज्य सरकार आदेश द्वारा, अवधारित करे।

(2) ऐसे निदेशों के अधीन रहते हुए जिन्हें राज्य सरकार इस निमित्त जारी करे, आयोग ऐसे अन्य कर्मचारियों को, जिन्हें वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने के लिए आवश्यक समझे, और सेवा के ऐसे निबन्धन और शर्तों पर जिन्हें आयोग उचित समझे, नियुक्त कर सकता है।

आयोग की शक्तियां और कर्तव्य

9--आयोग की निम्नलिखित शक्तियां और कर्तव्य होंगे, अर्थात् :--

(क) अध्यापकों की भर्ती और पदोन्नति की रीति से सम्बन्धित विषयों पर मार्गदर्शक सिद्धान्त तैयार करना;

(ख) अध्यापकों के रूप में नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करना और चयन करना ;

(ग) खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए विशेषज्ञों का चयन करना और उन्हें आमंत्रित करना;

(घ) चयन किए गए अभ्यर्थियों की नियुक्ति और उनकी पदोन्नति के सम्बन्ध में सिफारिश करना;

(ङ) अध्यापकों की पदच्युति, हटाए जाने या पंक्तिच्युति से सम्बन्धित विषयों में प्रबन्धतंत्र को सलाह देना;

(च) अध्यापक वर्ग की सदस्य संख्या और अध्यापकों की नियुक्ति, पदोन्नति, पदच्युति, पद से हटाने, सेवा समाप्ति या पंक्तिच्युति के सम्बन्ध में नियतकालिक विवरणियां या अन्य सूचनाएं संस्थाओं से प्राप्त करना;

(छ) विशेषज्ञों की उपलब्धियां और यात्रा भत्ते और अन्य भत्ते नियत करना;

(ज) आयोग में विहित निधि का प्रबन्ध करना;

(झ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना, जैसी विहित की जायें, या जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन करने के लिए आनुषांगिक या सहायक हों।

चयन की प्रक्रिया

10--(1) किसी अध्यापक की नियुक्ति करने के प्रयोजन के लिए प्रबन्धतंत्र विद्यमान या भर्ती के वर्ष के दौरान होने वाली रिक्तियों की संख्या और, संस्था के प्रधान के पद से भिन्न पद की स्थिति में, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और रिक्तियों को ऐसी रीति से और ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी के माध्यम से, जैसा विहित किया जाय, आयोग को अधिसूचित करेगा।

(2) अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी विहित की जाय :

परन्तु आयोग प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आमंत्रित करने की दृष्टि से उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित रिक्तियों का राज्य में व्यापक प्रचार करेगा।

अभ्यर्थियों का पैनल

11--(1) आयोग, धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन रिक्ति को अधिसूचित करने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करेगा और जो नियुक्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पाए जायें, उनका पैनल तैयार करेगा।

(2) आयोग उपधारा (1) में निर्दिष्ट पैनल को धारा 10 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी या प्राधिकारी को ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, अग्रसारित करेगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन पैनल प्राप्त होने के पश्चात् संबद्ध अधिकारी या प्राधिकारी धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित रिक्तियों के सम्बन्ध में संस्था के प्रबन्धतंत्र को चयन किए गए अभ्यर्थियों के नाम विहित रीति से सूचित करेगा ।

(4) प्रबन्धतंत्र, ऐसी सूचना की प्राप्ति के दिनांक से एक मास की अवधि के भीतर ऐसे चयनित अभ्यर्थी को, नियुक्ति-पत्र जारी करेगा ।

(5) जहां ऐसा चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति-पत्र में अनुमत समय के भीतर या ऐसे बढ़ाए गए समय के भीतर जैसा प्रबन्धतंत्र इस निमित्त स्वीकार करे ऐसी संस्था में पद का कार्यभार ग्रहण नहीं करता है या जहां ऐसा अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए अन्यथा उपलब्ध नहीं है, वहां संबद्ध अधिकारी या प्राधिकारी प्रबन्धतंत्र के अनुरोध पर आयोग द्वारा उपधारा (2) के अधीन अग्रसारित पैनल से नया नाम या नए नाम, विहित रीति से सूचित करेगा ।

अध्याय-तीन और धारा 12 से 15-ख का निकाला जाना

6—मूल अधिनियम का अध्याय तीन जिसमें धारा 12, 12-क, 12-ख, 12-ग, 13, 14, 15, 15-क और 15-ख दी गई है निकाल दिया जायगा ।

धारा 16 का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 16 में, उपधारा (1) में,—

(क) शब्द, अंक और अक्षर "किन्तु धारा 21-ख" के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर "किन्तु धारा 18, 21-ख" रख दिये जायेंगे ।

(ख) शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारम्भ के दिनांक को या उसके पश्चात् प्रबन्धतंत्र द्वारा बोर्ड की सिफारिश पर ही की जाएगी ।" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1995 के प्रारम्भ के दिनांक को या उसके पश्चात् प्रबन्धतंत्र द्वारा आयोग की सिफारिश पर ही की जाएगी ।" रख दिए जायेंगे;

(ग) द्वितीय परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह भी कि सेवा काल में मृत किसी अध्यापक का या किसी संस्था के अन्य कर्मचारी का आश्रित, जो इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अधीन विहित अर्हताएं रखता हो, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार प्रशिक्षित स्नातक ग्रेड में अध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है ।"

धारा 17 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 17 में, उपधारा (1) में, शब्द "अध्याय तीन" के स्थान पर शब्द "अध्याय दो" रख दिए जायेंगे ।

धारा 18 का प्रतिस्थापन

9—मूल अधिनियम की धारा 18 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात् :—

"18—(1) जहां प्रबन्धतंत्र ने धारा 10 की उपधारा (1) के अनुसार आयोग को, किसी रिक्ति की सूचना दी हो, और किसी अध्यापक का पद तदर्थ अध्यापक वास्तव में दो मास से अधिक रिक्त रहा हो, वहां प्रबन्धतंत्र इस धारा में एतद्पश्चात् उपबन्धित रीति से, किसी अध्यापक को पूर्णतया तदर्थ आधार पर सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा, नियुक्त कर सकता है ।

(2) प्रधानाचार्य या प्रधान अध्यापक से भिन्न किसी अध्यापक को, जिसे सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया जाना हो, उपधारा (8) में निर्दिष्ट चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया जा सकता है ;

(3) प्रधानाचार्य या प्रधान अध्यापक से भिन्न किसी अध्यापक को, जिसे पदोन्नति द्वारा नियुक्त किया जाना हो—

(क) प्रवक्ता ग्रेड में किसी रिक्ति के मामले में, विहित अर्हता रखने वाले प्रशिक्षित स्नातक ग्रेड में ज्येष्ठतम अध्यापक को प्रवक्ता के रूप में;

(ख) प्रशिक्षित स्नातक ग्रेड में किसी रिक्ति के मामले में, विहित अर्हता रखने वाले सर्टिफिकेट आफ टीचिंग ग्रेड में ज्येष्ठतम अध्यापक को प्रशिक्षित स्नातक ग्रेड में अध्यापक के रूप में;

विहित रीति से पदोन्नति करके नियुक्त किया जा सकता है ।

(4) प्रधानाचार्य के पद में किसी रिक्ति को प्रवक्ता ग्रेड में ज्येष्ठतम अध्यापक की पदोन्नति करके भरा जा सकता है ।

(5) प्रधान अध्यापक के पद में किसी रिक्ति को प्रशिक्षित स्नातक ग्रेड में ज्येष्ठतम अध्यापक की पदोन्नति करके भरा जा सकता है ।

(6) उपधारा (2) और (3) के अधीन नियुक्तियां करने के प्रयोजन के लिए प्रबन्धतंत्र रिक्तियों की संख्या और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसके पश्चात् यथाशक्य शीघ्र सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियां जिला विद्यालय निरीक्षक को सूचित करेगा और यदि प्रबन्धतंत्र रिक्तियों को सूचित करने में विफल रहता है और अध्यापक का पद वास्तव में तीन मास से अधिक रिक्त रहता है तो जिला विद्यालय निरीक्षक, ऐसे निदेशों के अधीन रहते हुए जैसा कि निदेशक जारी करे, ऐसी संस्था से या अपने अभिलेख से सत्यापन के पश्चात् स्वयं ऐसी रिक्तियों को अवधारित कर सकता है ।

(7) जिला विद्यालय निरीक्षक, उपधारा (6) के अधीन, यथास्थिति, रिक्तियों की सूचना की प्राप्ति पर या रिक्तियों का अवधारण करने के पश्चात्, सम्भाग के प्रभारी उपशिक्षा निदेशक को रिक्तियों की सूचना अग्रसारित कर देगा, जो, इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 या तदधीन बनाए गए विनियमों के अधीन विहित अर्हताएं रखने वाले व्यक्तियों से, प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक से भिन्न, अध्यापकों के पद पर तदर्थ नियुक्ति के लिए ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाय, आवेदन-पत्र आमंत्रित करेगा ।

(8) (क) प्रत्येक सम्भाग के लिए सीधी भर्ती द्वारा तदर्थ नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के चयन के लिए एक चयन समिति होगी जिसमें निम्नलिखित होंगे---

(एक) सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक;

(दो) सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक (द्वितीय);

(तीन) सम्भागीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक);

सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक में जो ज्येष्ठ होगा वह अध्यक्ष होगा ।

(ख) खण्ड (क) के अधीन गठित चयन समिति अभ्यर्थियों का चयन करेगी, चयनित अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगी, उन्हें संस्थाओं को आवंटित करेगी और उपधारा (2) के अधीन नियुक्ति के लिए प्रबन्धतंत्र को उनके नाम की सिफारिश करेगी ।

(ग) अभ्यर्थियों के चयन के लिए मापदण्ड और प्रक्रिया और चयनित अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने की और संस्थाओं को उनके आवंटन की रीति ऐसी होगी, जैसी विहित की जाय ।

(9) उपधारा (1) के अधीन तदर्थ अध्यापक की प्रत्येक नियुक्ति उस दिनांक से प्रभावहीन हो जाएगी जब वह अभ्यर्थी जिसकी सिफारिश आयोग द्वारा की गई हो, कार्यभार ग्रहण कर ले ।

(10) धारा 21-घ के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, ऐसे अध्यापकों पर लागू होंगे जिन्हें इस धारा के उपबन्धों के अधीन नियुक्त किया जाना हो ।"

धारा 19 का संशोधन

10---मूल अधिनियम की धारा 19 में,--

(क) शब्द "बोर्ड" के स्थान पर शब्द "आयोग" रख दिया जायगा;

(ख) शब्द और अंक "धारा 14" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 9" रख दिए जायेंगे ।

11—मूल अधिनियम की धारा 20 में, शब्द "बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति" के स्थान पर शब्द "आयोग के सचिव या आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति" रख दिए जायें । — धारा 20 का संशोधन

12—मूल अधिनियम की धारा 21 में, शब्द "बोर्ड" के स्थान पर शब्द "आयोग" रख दिया जायगा । — धारा 21 का संशोधन

13—मूल अधिनियम की धारा 22, 23 और 26 में, शब्द "बोर्ड", जहां कहीं भी आया हो, के स्थान पर शब्द "आयोग" रख दिया जायगा । — धारा 22, 23 और 26 का संशोधन

14—मूल अधिनियम की धारा 27 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:— — धारा 27 का प्रतिस्थापन

"27—आयोग के सभी आदेश और विनिश्चय धारा 8 के अधीन नियुक्त सचिव या आदेशों का अधिप्रमाणीकरण — आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किए जायेंगे ।" ।

15—मूल अधिनियम की धारा 28 में, शब्द "बोर्ड" के स्थान पर शब्द "आयोग" रख दिया जायगा । — धारा 28 का संशोधन

16—मूल अधिनियम की धारा 28 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्:— — नई धारा 29 का बढ़ाया जाना

"29—आयोग धारा 34 के अधीन बनाए गए विनियम द्वारा अपने अध्यक्ष या अपने किसी सदस्य या अधिकारी को आयोग द्वारा या आयोग में किए गये प्रत्यायोजन कार्य के सामान्य अधीक्षण और उनके सम्बन्ध में निदेश देने की अपनी शक्ति, जिसके अन्तर्गत कार्यालय के अनुरक्षण और आयोग के आन्तरिक प्रशासन के सम्बन्ध में किए गए व्यय से सम्बन्धित शक्ति भी है प्रत्यायोजित कर सकता है ।" ।

17—मूल अधिनियम की धारा 32 में, शब्द "या इसके अधीन बनाए गए नियमों" के स्थान पर शब्द "या इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों" रख दिए जायेंगे । — धारा 32 का संशोधन

18—मूल अधिनियम की धारा 33 में, उपधारा (1) में, परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जायगा, अर्थात्— — धारा 33 का संशोधन

"परन्तु ऐसा कोई आदेश उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1995 के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात नहीं दिया जाएगा ।"

19—मूल अधिनियम की धारा 33-ख में, उपधारा (1) में, खण्ड (क) में, उपखण्ड (तीन) में, शब्द और अंक "जैसी कि वह उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1992 द्वारा निकाले जाने के पूर्व थी" के स्थान पर शब्द और अंक "जैसी कि वह उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1992 द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने के पूर्व थी" रख दिए जायेंगे । — धारा 33-ख का संशोधन

20—मूल अधिनियम की धारा 33-ख के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् — नई धारा 34 का बढ़ाया जाना

"34—(1) आयोग इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, साक्षात्कार करने के लिए, फीस विहित करने हेतु और इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का पालन और कृत्यों का सम्पादन करने के लिए आयोग द्वारा अनुसरणीय प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से विनियम बना सकता है या उन्हें संशोधित कर सकता है : — विनियम बनाने की शक्ति

परन्तु इस उपधारा के अधीन प्रथम विनियम राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा बनाए जायेंगे ।

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाए गए विनियम, इस अधिनियम या धारा 35 के अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों से असंगत नहीं होंगे" ।

21—मूल अधिनियम की धारा 12 के, जैसी कि वह इस अध्यादेश के प्रारम्भ के ठीक पूर्व थी, अधीन निगमित निकाय के रूप में गठित माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड, ऐसे प्रारम्भ पर विघटित हो जायगा और ऐसे विघटन पर,— — संक्रमण कालीन उपबन्ध

(क) ऐसे बोर्ड की सभी सम्पत्तियां और परिसम्पत्तियां और ऐसे बोर्ड के सभी ऋण, दायित्व और बाध्यता, चाहे किसी संविदा के अधीन हों या अन्यथा हों, मूल अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित आयोग को अन्तरित हो जायेंगी;

(ख) ऐसे बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर काम करने वाले सभी व्यक्ति अपने मूल विभागों में प्रत्यावर्तित हो जायेंगे ;

(ग) ऐसे बोर्ड के प्रत्येक पूर्णकालिक कर्मचारी की सेवाएं मूल अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित आयोग को अन्तरित हो जायेंगी;

(घ) मूल अधिनियम के अध्याय तीन के, जैसा कि वह इस अध्यादेश के प्रारम्भ के ठीक पूर्व था, अधीन ऐसे बोर्ड के समक्ष लम्बित कोई विषय और मूल अधिनियम की धारा 21 के अधीन ऐसे बोर्ड के समक्ष लम्बित कोई सन्दर्भ मूल अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित आयोग को अन्तरित हो जाएगा।

निरसन और अपवाद

22--(1) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1994 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 31 सन् 1994

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जाएगी मानो इस अध्यादेश के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

मोती लाल वोरा,
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश

आज्ञा से,
नरेन्द्र कुमार नारंग,
प्रमुख सचिव।

No. 568 (2)/XVII-V-1—2 (KA)-10-1995

Dated Lucknow, March 13, 1995

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Madhyamik Shiksh Seva Chayan Board (Sanshodhan) Adhyadesh, 1995 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 13 of 1995) promulgated by the Governor.

THE UTTAR PRADESH SECONDARY EDUCATION SERVICES SELECTION BOARDS (AMENDMENT) ORDINANCE, 1995

[U. P. ORDINANCE NO. 13 OF 1995]

(Promulgated by the Governor in the fourty-sixth year of the Republic of India)

AN

ORDINANCE

further to amend the Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Boards Act, 1982

WHEREAS the Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Boards (Amendment) Ordinance, 1994 to provide for the aforesaid matter was promulgated by the Governor on December 28, 1994;

AND WHEREAS, the Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Boards (Amendment) Bill,1995 was introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on February 6, 1995 to replace to said Ordinance and was passed by the said House and is pending in the Legislative Council;

AND WHEREAS, the State Legislatures is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution, the Govrernor is pleased to promulgate the following Ordinance :—

Short title and Commencement

1. (1) This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Boards (Amendment) Ordinance, 1995.

(2) It shall be deemed to have come into force on December 28, 1994.

2. In the long title of the Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Boards Act, 1982, hereinafter referred to as the principal Act, *for* the words 'Services Selection Boards' the words 'Services Commission' shall be *substituted*. Amendment of long title of U.P. Act no. 5 of 1982

3. In section 1 of the principal Act, in sub-section (1), *for* the words 'Services Selection Boards' the words 'Services Commission' shall be *substituted*. Amendment of section 1

4. In section 2 of the principal Act,— Amendment of section 2

(*a*) clause (a) shall be *omitted* ;

(*b*) *after* clause (*a*) as so *omitted*, the following clauses shall be *inserted*, namely:—

"(*b*) 'Chairman' means the Chairman of the Commission and includes any other person performing, in the absence of the Chairman, for the time being, the functions of the Chairman ;

(*c*) 'Commission' means the Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission established under section 3; " ;

(*c*) *for* clause (*g*), the following clause shall be *substituted*, namely ;—

"(*g*) 'Member' means a member of the Commission and includes its Chairman; " ;

(*d*) clause (*h*) shall be *omitted* ;

(*e*) *after* clause (*h*) as so *omitted*, the following clauses shall be *inserted*, namely :—

"(*hh*) 'other backward classes of citizens' means the backward classes of citizens specified in Schedule I of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes) Act, 1994 ;

(*i*) 'regulation' means any regulation made under section 34;".

5. *After* section 2 of the principal Act, the following Chapter containing sections 3 to 11 shall be *inserted*, namely :— Insertion of Chapter II and section 3 to 11

"CHAPTER II

ESTABLISHMENT AND FUNCTIONS OF THE COMMISSION

Establishment of the Commission

3. (1) With effect from such date as the State Government may, by notification appoint in this behalf, there shall be established a Commission to be called the "Uttar Pradesh Secondary Education Service s Commission".

(2) The Commission shall be a body corporate. It shall exercise powers throughout Uttar Pradesh and its headquarters shall be at Allahabad.

Composition of the Commission

4. (1) The Commission shall consist of a Chairman and not more than six other members who shall, subject to sub-section (2), be appointed by the State Government.

(2) The Chairman and members shall be appointed from amongst the persons who have—

(*a*) been in the opinion of the State Government, an eminent educationist or have made valuable contributions in the field of education; or

(*b*) worked as a Professor in any University established by law in Uttar Pradesh or as a Principal of any College recognised by or affiliated to such university for a period of not less than ten years ; or

(*c*) worked as a senior officer in the Judicial, Administrative or Education Service of the State for a period of not less than ten years; or

(*d*) worked as a Principal of any Institution for a period of not less than fifteen years.

(3) Every appointment under this section shall take effect from the date on which it is notified by the State Government.

Term of office and conditions of service of Members

5. (1) Subject to the provisions of this Act, every Member shall hold office for a term of four years.

(2) No person shall be a member for more than two consecutive terms.

(3) A member may resign his office by writing under his hand addressed to the State Government, but he shall continue in office until his resignation is accepted by the State Government.

(4) The office of the members shall be whole time and terms and conditions of their service shall be such as the State Government may by order, direct.

(5) Notwithstanding any thing contained in this section, no person shall be appointed or continue as a member if he has attained the age of sixty two years.

Powers of the State Government to remove the Member

6. (1) The State Government may, by order, remove from office any member, if he—

(*a*) is adjudged an insolvent; or

(*b*) engages, during his term of office, in any paid employment out side the duties of his office; or

(*c*) is, in the opinion of the State Government, unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body or of proved misconduct; or

(*d*) incurs any disqualification under this Act or the rules made thereunder.

Explanation—Where a member becomes in any way concerned or interested in any contract or agreement made by or on behalf of any Institution or participates in any way in the profits thereof or in any benefit or emolument arising therefrom, otherwise than a member, he shall, for the purpose of clause (*c*), be deemed to be guilty of misconduct.

(2) The procedure for the investigation and proof of misconduct under this section shall be such as may be prescribed.

Power to associate

7. The Commission may associate with itself, in such manner and for such purposes as may be determined by regulations made under section 34, any person whose assistance or advice it may desire to have in carrying out any of the provisions of this Act.

Staff of the Commission

8. (1) The Secretary of the Commission shall be appointed by the State Government on deputation for a term not exceeding five years and other conditions of his service shall be such as the State Government may, by order, determine.

(2) Subject to such directions as may be issued by the State Government in this behalf, the Commission may appoint such other employees as it may think necessary for the efficient performance of its functions under this Act and on such terms and conditions of service as the Commission thinks fit.

Powers and duties of Commissiones

9. The Commission shall have the following powers and duties namely :—

(*a*) to prepare guidelines on matters relating to the method of recruitment and promotion of teachers;

(*b*) to hold interviews and make selection of candidates for being appointed as teachers;

(*c*) to select and invite experts for the purposes specified in clause (*b*);

(*d*) to make recommendations regarding the appointment of selected candidates and their promotion;

(*e*) to advise the Management in matters relating to dismissal, removal or reduction in rank of teachers;

(*f*) to obtain periodical returns or other informations from institutions regarding strength of the teaching staff and the appointment, promotion, dismissal, removal, termination or reduction in rank of teachers;

(*g*) To fix the emoluments and travelling and other allowances of the experts;

(*h*) to administer the funds placed at the disposal of the Commission;

(*i*) to perform such other duties and exercise such other powers as may be prescribed or as may be incidental or conducive to the discharge of its functions under this Act or the rules or regulations made thereunder.

Procedure of selection

10. (1) For the purpose of making appointment of a teacher, the management shall determine the number of vacancies existing or likely to fall vacant during the year of recruitment and in the case of a post other than the post of Head of the Institution, also the number of vacancies to be reserved for the candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other Backward Classes of citizens in accordance with the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 and notify the vacancies to the Commission in such manner and through such officer or authority as may be prescribed.

(2) The procedure of selection of candidates for appointment to the post of teachers shall be such as may be prescribed :

Provided that the Commission shall, with a view to inviting talented persons, give wide publicity in the State to the vacancies notified under sub-section (1).

Panel of candidates

11. (1) The Commission shall, as soon as may be, after the vacancy is notified under sub-section (1) of section 10, hold interviews of the candidates and prepare a panel of those found most suitable for appointment.

(2) The panel referred to in sub-section (1) shall be forwarded by the Commission to the officer or authority referred to in sub-section (1) of section 10 in such manner as may be prescribed.

(3) After the receipt of the panel under sub-section (2), the officer or authority concerned shall in the prescribed manner intimate the Management of the Institution the names of the selected candidates in respect of the vacancies notified under sub-section (1) of section 10.

(4) The management shall, within a period of one month from the date of receipt of such intimation, issue appointment letter to such selected candidate.

(5) Where such selected candidate fails to join the post in such Institution within the time allowed in the appointment letter or within such extended time as the Management may allow in this behalf, or where such candidate is otherwise not available for appointment, the officer or authority concerned may, on the request of the Management, intimate, in the prescribed manner, fresh name or names from the panel forwarded by the Commission under sub-section (2)."

Omission of Chapter III and sections 12 to 15-B

6. Chapter III of the principal Act containing sections 12, 12-A, 12-B, 12-C, 13, 14, 15, 15-A and 15-B shall be *omitted*.

Amendment of section 16

7. In section 16 of the principal Act, in sub-section (1),—

(*a*) *for* the words and figures "subject to the provisions of section 21-B", the words and figures "subject to the provisions of sections 18, 21-B" shall be *substituted*;

(*b*) *for* the words and figures "Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission and Selection Boards (Amendment) Act, 1992 be made by the Management only on the recommendation of the Board," the words and figures "Uttar Pradesh Secondary Education

Services Selection Boards (Amendment) Ordinance, 1995 be : ...de by the Management only on the recommendation of the Commission," shall be *substituted*;

(*c*) *after* the second proviso, the following proviso shall be *inserted*, namely—

"Provided also that the dependent, of a teacher or other employee of an Institution dying in harness, who possesses the qualifications prescribed under the Intermediate Education Act, 1921 may be appointed as teacher in Trained Graduate's Grade in accordance with the regulations made under sub-section (4) of Section 9 of the said Act."

Amendment of section 17

8. In Section 17 of the principal Act, in sub-section (1), *for* the word and figure "Chapter III" the word and figure "Chapter II" shall be *substituted*.

Substitution of section 18

9. *For* Section 18 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely :—

Ad hoc teachers

"18. (1) Where the Management has notified a vacancy to the Commission in accordance with sub-section (1) of Section 10 and the post of a teacher actually remained vacant for more than two months, the Management may appoint by direct recruitment or promotion a teacher on purely *ad hoc* basis, in the manner hereinafter provided in this section.

(2) A teacher other than a Principal or Headmaster, who is to be appointed by direct recruitment may be appointed on the recommendation of the Selection Committee referred to in sub-section (8).

(3) A teacher other than a Principal or Headmaster, who is to be appointed by promotion, may in the prescribed manner be appointed by promoting the senior most teacher, possessing prescribed qualifications—

(*a*) in the trained graduate's grade, as a lecturer, in the case of a vacancy in the lecturer's grade;

(*b*) in the Certificate of Teaching grade, as teacher in the trained graduate's Grade, in the case of a vacancy in the Trained graduate's grade.

(4) A vacancy in the post of a Principal may be filled by promoting the senior most teacher in the lecturer's grade.

(5) A vacancy in the post of a Headmaster may be filled by promoting the senior most teacher in the trained graduate's grade.

(6) For the purposes of making appointments under sub-sections (2) and (3), the Management shall determine the number of vacancies, as also the number of vacancies to be reserved for the candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and Other Backward Classes of citizen in accordance with the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 and, as soon as may be thereafter, intimate the vacancies to be filled by direct recruitment to the District Inspector of Schools and if the Management fails to intimate the vacancies and the post of a teacher has actually remained vacant for more than three months, the District Inspector of Schools may, subject to such directions as may be issued by the Director and after verification from such institution or from his own record, determine such vacancies himself.

(7) The District Inspector of Schools shall, on receipt of intimation of vacancies or as the case may be, after determining the vacancies under sub-section (6), forward the same to the Deputy Director of Education incharge of the Region, who shall invite applications from the persons possessing qualifications prescribed under the Intermediate Education Act, 1921 or the regulations made thereunder, for *ad hoc* appointment to the post of teachers other than Principal or Head Master in such manner as may be prescribed.

(8) (*a*) For each region there shall be a Selection Committee for selection of candidates for *ad hoc* appointment by direct recruitment comprising—

(i) Regional Deputy Director of Education ;

(ii) Regional Deputy Director of Education (Second) ;

(iii) Regional Assistant Director of Education (Basic).

The Regional Deputy Director of Education who is senior shall be the Chairman.

(*b*) The Selection Committee constituted under clause (*a*) shall make selection of the candidates, prepare a list of the selected candidates, allocate them to the Institutions and recommend their names to the Management for appointment under sub-section (2).

(*c*) The criteria and procedure for selection of candidates and the manner of preparation of list of selected candidates and their allocation to the Institution shall be such as may be prescribed.

(9) Every appointment of an *ad hoc* teacher under sub-section (1) shall cease to have effect from the date when the candidate recommended by the Commission joins the post.

(10) The provisions of section 21-D shall *mutatis mutandis* apply to the teachers who are to be appointed under the provisions of this section."

Amendment of section 19

10. In section 19 of the principal Act,—

(*a*) *for* the word "Board" the word "Commission" shall be *substituted*.

(*b*) *for* the word and figure "section 14" the word and figure "section 9" shall be *substituted*.

Amendment of section 20

11. In section 20 of the principal Act, *for* the words "Any person authorised in this behalf by the Board" the words "The Secretary of the Commission or any other person authorised by the Commission" shall be *substituted*.

Amendment of section 21

12. In section 21 of the principal Act, *for* the word "Board" the word "Commission" shall be *substituted*.

Amendment of sections 22, 23 and 26

13. In sections 22, 23 and 26 of the principal Act, *for* the words "the Board" wherever occuring, the words "the Commission" shall be *substituted*.

Substitution of section 27

14. *For* section 27 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely :—

"27. All orders and decisions of the Commission shall be authenticated by the signature of the Secretary appointed under section 8 or any other officer authorised by the Commission."

Authentication of the orders

Amendment of section 28

15. In section 28 of the principal Act, *for* the words "the Board" the words "the Commission" shall be *substituted*.

Insertion of new section 29

16. *After* section 28 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely :—

"29. The Commission may, by regulation made under section 34, delegate to its Chairman or any of its Members or officers, its power of general superintendence and, direction over the business transacted by or in the Commission including the powers with regard to the expenditure incurred in connection with the maintenance of the office and internal administration of the Commission."

Delegation

Amendment of section 32

17. In section 32 of the principal Act, *for* the words "or the rules made thereunder" the words "or the rules or regulations made thereunder" shall be *substituted*.

Amendment of section 33

18. In section 33 of the principal Act, in sub-section (1), *for* the proviso the following proviso shall be *substituted*, namely :—

"Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of the Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Boards (Amendment) Act, 1995."

Amendment of section 33-B

19. In section 33-B of the principal Act, in sub-section (1) in clause (*a*), in sub-clause (iii), *for* the words and figures "as it stood before its omission by the Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission and Selection Boards(Amendment) Act, 1992" the words and figures "as it stood before its substitution by the Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission and Selection Boards(Second Amendment) Act, 1992" shall be *substituted*.

Insertion of new section 34

20. *After* section 33-B of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely :—

"34. (1) The Commission may, with the previous approval of the State Government, make or amend regulations prescribing fees for holding selections, for holding interviews and laying down the procedure to be followed by the Commission for discharging its duties and performing its functions under this Act:

Power to make reuglations

Provided that the first regulation under this sub-section shall be made by the State Government by notification in the *Gazette*.

(2) The regulations made under sub-section (1) shall not be inconsistent with the provisions of this Act or the rules made under section 35."

Transitory provisions

21. The Secondary Education Selection Boards constituted as body corporate under section 12 of the principal Act as it stood immediately before the commencement of this Ordinance, shall upon such commencement stand dissolved, and upon such dissolution—

(*a*) all properties and assets of such Boards and all debts, liabilities and obligations of such Boards, whether contractual or otherwise, shall stand transferred to the Commission established under section 3 of the principal Act;

(*b*) all persons serving on deputation in such Boards shall revert to their parent departments;

(*c*) the service of every whole time employee of such Boards shall stand transferred to the Commission established under section 3 of the principal Act;

(*d*) any matter pending before such Boards under Chapter III of the principal Act as it stood immediately before the commencement of this Ordinance and any reference pending before such Boards under section 21 of the principal Act shall stand transferred to the Commission established under section 3 of the principal Act.]

Repeal and savings

22. (1) The Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Boards (Amendment) Ordinance, 1994 is hereby repealed. U. P. Ordinance no. 31 of 1994

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Ordinance as if the provisions of this Ordinance were in force at all material times.

MOTI LAL VORA,
Governor,
Uttar Pradesh.

By Order,
N. K. NARANG,
Pramukh Sachiv.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 309 जा० विधा० —(4071)—1995—850(सैक०)।